न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी का नाम – बृजेश गुप्ता (R.A.S.)
मुकदमा नम्बर – 01/2018
किस्म मुकदमा – अपील
दायर दिनांक – 22.01.2018
निर्णय दिनांक – 28.01.25

अनवान

1. श्रीमति जसवन्त पुत्री मांगीलाल जी, पत्नि दौलतसिंह जी पंवार जाति दर्जी, निवासी कुंवारिया हाल 18 पुजारी कॉलोनी अम्बामाता, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)

....................अपीलाण्ट

बनाम

1. लक्ष्मण पिता मांगीलाल जी जाति दर्जी, निवासी कुंवारिया तहसील व जिला राजसमन्द हाल मकान नम्बर 87, श्री नगर, पुराने इण्डेन गैस गोदाम के पास रामपुरा, उदयपुर, जिला उदयपुर
2. जगदीश पिता मांगीलाल जी जाति दर्जी, निवासी कुंवारिया हाल मकान नम्बर 5. मेघा विहार, आदर्श रेसोर्ट के पास, रामपुरा उदयपुर, जिला उदयपुर
3. गंगा पत्नि दीपसिंह तंवर जाति दर्जी, निवासी रामपुरा गैस गोदाम सीसारमा उदयपुर जिला उदयपुर
4. रजमा बानु पत्नि ईस्माईल खां जाति पठान मुसलमान, निवासी रेल्वे स्टेशन कुंवारिया तहसील व जिला राजसमन्द
5. ग्राम पंचायत कुंवारिया जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कुंवारिया तहसील व जिला राजसमन्द

.......................रेस्पोडेण्टगण

अपील विरूद्ध ग्राम पंचायत कुंवारिया द्वारा नामान्तरकरण सं. 851 दिनांक 31/05/1989 फैसल किया उसके विरूद्ध

उपस्थित

अधिवक्ता अपीलाण्ट – श्री जी.सी. पुरोहित
अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं. 1 से 3 – श्री मदनसिंह चौहान,
अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं. 4 – श्री रोशन लाल

निर्णय

अपीलाण्ट ने जरिये अधिवक्ता श्री विष्णु कुमार यादव रेस्पोडेण्टगण 1 से 5 को पक्षकार बनाकर ग्राम पंचायत कुंवारिया द्वारा फैसल नामान्तरण संख्या 851 निर्णय दिनांक 31.05.1989 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट सं. 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य होकर स्व. श्री मांगीलाल जी के विधिक वारिस है। अपीलाण्ट स्व. श्री मांगीलाल जी की जाईन्दा पुत्री है तथा रेस्पोडेण्ट सं. 1 व 2 जाईन्दा पुत्र तथा रेस्पोडेण्ट सं. 3 स्व. श्री मांगीलाल जी की पत्नि थी। स्व. श्री मांगीलाल पिता भुरा जी दर्जी के गांव कुंवारिया में आ.न. 721 रकबा 0–14 आ.न. 722 रकबा 2–01 आ.न. 723 रकबा 2–13 आ.न. 724 रकबा 0–07 आ.न. 725 रकबा 2–01 आ.न. 726 रकबा 2–01 आ.न. 728 रकबा 0–10 कुल आराजी किता 7 कुल रकबा 10–07 (दस बिघा सात बिस्वा) भूमि स्थित रही है। स्व. श्री मांगीलाल जी का देहान्त होने के पश्चात् अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट सं. 1 व 2 का उक्त वर्णित आराजीयात् में समान हक व हिस्सा होकर अपीलाण्ट का मांगीलाल जी की भूमियों में 1/12वां हिस्सा है। चूंकि रेस्पोडेण्ट सं. 3 तीन गंगा जो स्वं मांगीलाल जी की पत्नि थी वह मांगीलाल जी की मृत्यू पश्चात् ही दीपसिंह पिता विजयसिंह तंवर जाति दर्जी के नाते चली गई एवं दीपसिंह की पत्नि बनकर उसके साथ आज भी दाम्पत्य जीवन निर्वाह करने से श्री मांगीलाल जी की उपरोक्त वर्णित आराजीयातो में रेस्पोडेण्ट सं. 3 का कोई हक अधिकार

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

Scanned with ACE Scanner

नहीं होकर अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट सं. 1 व 2 का 1/12 – 1/12 वां हिस्सा है। अपीलाण्ट के पिता की मृत्यू के पश्चात् रेस्पोडेण्ट सं. 1, 2 व 3 ने बाला बाला अपीलाण्ट से पोशिदा रख ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर अधिकारो से परे जाकर नामान्तरकरण अपने नाम पर पारित करवा लिया है। जबकि रेस्पोडेण्ट सं. 3 तीन का स्व. श्री मांगीलाल जी के उपरोक्त आराजीयातो में कोई हक अधिकार नहीं होते हुऐ भी अपने नाम पर उक्त नामान्तरकरण पारित करवा लिया गया है जो अवैध एवं शुन्य है। अपीलाण्ट को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी होते ही यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत है कि:–

अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत कुंवारिया ने नामान्तरकरण फैसल कराने में विधि एवं तथ्यों की भारी भुल फरमाई गई है तथा अपीलाण्ट को बिना सुने उक्त नामान्तरकरण बाले बाले रेस्पोडेण्ट सं. 1 से लगायत 3 के पक्ष में निर्णित किया गया है। अपीलाण्ट स्व. श्री मांगीलाल जी की पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की वारिसान् है तथा उक्त नामान्तरकरण अपीलाण्ट के नाम पर भी खुलना चाहिये था जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं खोलकर भारी भुल की है। स्व. श्री मांगीलाल जी का स्वर्गवास होने के करीबन 4 चार वर्ष पश्चात् उक्त नामान्तरकरण दिनांक 31/05/1989 को फैसल किया है। जो कानुनन मयाद बाहर फैसल किया गया है। ग्राम पंचायत को नामान्तरकरण पारित करने के लिए फैसल करने के लिए 45 दिन की अवधि का अधिकार रहता है और 45 दिन पश्चात् नामान्तरकरण पारित करने का अधिकार स्वतः तहसीलदार महोदय को हो जाता है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय रेस्पोडेण्ट सं. 5 ने विधि के प्रावधानो की अवहेलना करते हुऐ बिना अधिकारो के करीब 4 चार वर्ष पश्चात् जो उक्त नामान्तरकरण फैसल किया है वह सर्वथा विधि विरूद्ध है। रेस्पोडेण्ट सं. 1, 2 व 3 ने उक्त गलत नामान्तरकरण से जो राजस्व अभिलेखो में स्व. श्री मांगीलाल जी के बाद अपने अकेले के नाम दर्ज करा ली तथा रेस्पोडेण्ट सं. 3 जो उक्त नामान्तरकरण पारित होने से करीब 3 वर्ष पूर्व ही अर्थात् स्व. मांगीलाल जी की मृत्यू होते ही कुछ समय पश्चात् ही श्री दीपसिंह तंवर की नातायत पत्नि होकर दीपसिंह के साथ ही दाम्पत्य जीवन निर्वाह कर पत्नि बनकर निवास कर रही है। जिसका उक्त मांगीलाल जी की उक्त भूमियों में कोई हक अधिकार नहीं रहते हुऐ भी उक्त नामान्तरकरण गलत तरिके से अपने नाम पर नामान्तरित करवाया गया। क्योंकि मांगीलाल जी की विधवा बनकर यदि निवास करती तो उक्त भूमियों में रेस्पोडेण्ट सं. 3 का भी हक अधिकार होता परन्तु रेस्पोडेण्ट सं. 3 ने मांगीलाल जी की मृत्यू के पश्चात् ही नाता विवाह सम्पादित कर लेने से उक्त भूमियों में उनका कोई हक अधिकार नही होते हुए भी गलत तरिके से नामान्तरकरण अपने नाम पर भी पारित करवाकर अपने नाम पर राजस्व अभिलेखो में अंकित करवा दी जो रेस्पोडेण्ट सं. 3 का नाम गलत तरिके से राजस्व अभिलेखो में दर्ज हुआ है। उसे विलोपित किया जाना आवश्यक है। एवं उक्त गलत नामान्तरकरण रेस्पोडेण्ट ने अपने नाम पर नामान्तरित करवाकर इसका नाजायज लाभ प्राप्त करने के लिये बाला बाला अपीलाण्ट से पोसीदा रख इन भूमियों को रेस्पोडेण्ट सं. 4 को विक्रय कर दी। यह विक्रय अपीलाण्ट के मुकाबले प्रारम्भ से ही अवैध व शुन्य है। तथा अपीलाण्ट के हक व हिस्से के लिये निष्प्रभावी है। तथा अपीलाण्ट के हक व हिस्से तक विक्रय पत्र रद्धी कागज के बराबर है। इस विक्रय से राजस्व अभिलेखो में रेस्पोडेण्टगण के हुऐ इन्द्राज भी अवैध व शुन्य है। रेस्पोडेण्ट सं. 4 को किये गये विक्रय व इसके नामान्तरकरण को इगनोर करते हुऐ अपीलाण्ट यह अपील पेश कर रही है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम पंचायत कुंवारिया द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 851 दिनांक 31/05/1989 को निरस्त किया जाकर स्व. श्री मांगीलाल जी के वारिस् अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट सं. 1 एक व 2 दो के नाम पर नामान्तरकरण खुलवाये जाने का आदेश पारित फरमाया जावें एवं रेस्पोडेण्ट सं. 3 तीन का स्व. श्री मांगीलाल जी की भूमियों में अंकित नाम को विलोपित किये जाने का भी आदेश पारित फरमाया जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्टगण को सम्मन जारी किये गये। दिनांक 23.03.2018 को रेस्पोडेण्टगण 1 से 3 की ओर अधिवक्ता श्री मदनसिंह चौहान एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल सोनगरा ने वकालत पत्र प्रस्तुत किया। दिनांक 26.03.2019 को अधिवक्ता श्री विष्णु कुमार यादव द्वारा पत्रावली पर अनापत्ति जाहिर करने के उपरान्त दिनांक 9.07.2019 को

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

Scanned with ACE Scanner

अधिवक्ता श्री जी.सी.पुरोहित ने अपीलाण्ट की ओर से वकालत पत्र प्रस्तुत किया। जो शामील पत्रावली किया गया। रेस्पोडेण्टगण 1 से 4 एवं उनके अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर लगातार अनुपस्थित रहने से दिनांक 12.02.2021 को रेस्पोडेण्टगण 1 से 4 के विरूद्ध अन्तर्गत आदेश 9 नियम 6 सी.पी.सी. के तहत एक पक्षीय कार्यवाही की गई एवं प्रकरण अपीलान्ट की एक तरफा बहस हेतु नियत किया गया।

दिनांक 02.09.2024 को प्रकरण में बहस सुनी गई किन्तु पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने से आदेश नहीं सुनाया जा सका। आज दिनांक को प्रकरण में पुनः अपीलाण्ट अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अपनी बहस में अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील के बिन्दुओ को दौहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेण्ट सं. 4 चार को किये गये विक्रय व उसके नामान्तरकरण को इगनोर करते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम पंचायत कुंवारिया द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 851 दिनांक 31/05/1989 को निरस्त किया जाकर स्व. श्री मांगीलाल जी के वारिस् अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट सं. 1 एक व 2 दो के नाम पर नामान्तरकरण खुलवाये जाने का आदेश पारित फरमाया जावें एवं रेस्पोडेण्ट सं. 3 तीन का स्व. श्री मांगीलाल जी की भूमियों में अंकित नाम को विलोपित किये जाने का भी आदेश पारित फरमाया जावें।

न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। राजस्व ग्राम कुंवारिया की जमाबन्दी नकल सवंत 2037–40 अनुसार आराजी संख्या 721 से 726 एवं 728 कुल किता 7 रकबा 10–07 बीघा भूमि डालू दीपचन्द मांगीलाल पिता भुरा 3/4 हि. ब. मगना पिता हमता 1/4 दरजी सा.देह के नाम दर्ज रिकार्ड थी। नामान्तरण संख्या 851 के अवलोकन से जाहिर आया कि पटवारी हल्का कुंवारिया द्वारा दिनांक 27.05.89 को विरासत से मांगीलाल पि. भूरा जी का 1/4 हिस्सा कॉलम संख्या 9 में अंकित अनुसार श्री लक्ष्मण, जगदीश पि. मांगीलाल नाबालिग बवि. माता गंगा बेवा मांगीलाल 1/4 हि.ब. के नाम रद्दोबदल किया जाना प्रस्तावित किया गया एवं ग्राम पंचायत कुंवारिया द्वारा दिनांक 31.05.89 को यह आदेश अंकित किया गया है कि नामान्तकरण कोरम में पेश हुआ मुताबिक इन्द्राज पटवारी खाता बह हक वीरासत से श्री लक्ष्मण, जगदीश पि. मांगीलाल दर्जी एवं श्रीमती माता गंगा बेवा मांगीलाल के नाम खाता रद्दोबदल करने की स्वीकृति पूर्ण कोरम की राय से दी जाती है। जिसकी पालना में जमाबन्दी संवत् 2042–45 में उक्त रद्दोबदल का नोट अंकित किया गया एवं जमाबन्दी संवत 2046–49 की खाता संख्या 294 में उक्त नामान्तरण अनुसार खाते में रद्दोंबदल किया गया। जमाबन्दी संवत 2070–73 को देखने से जाहिर आया कि उक्त वर्णित आराजीयात में लक्ष्मण, जगदीश पिता मांगीलाल गंगा बेवा मांगीलाल का 1/4 हिस्सा दर्ज रिकोर्ड होकर नामा. संख्या 2716 नि.दि. 07.07.2015 एवं नामा. संख्या 3107 नि. दि. 14.12.2017 बेचान से उक्त सम्पूर्ण 1/4 हिस्सा नजमाबानु पत्नी इस्माईल खां पठान के नाम दर्ज किये जाने की स्वीकृति हुई।

इस प्रकार प्रकरण में दस्तावेजो के अवलोकन एवं बहस पर मनन के पश्चात यह पाया गया है कि अपीलाण्ट जसवन्त पुत्री मांगीलाल स्व. श्री मांगीलाल पिता भूरा जी दर्जी की प्रथम वर्ग की वारिस है। नामान्तरण संख्या 851 में स्व. मांगीलाल पिता भूरा जी दर्जी के वारिसान में अपीलाण्ट का नाम भी अंकित किया जाना चाहिये था, किन्तु अपीलान्ट का नाम अंकित नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत कुंवारिया द्वारा दिनांक 31.05.89 को पारित अपने निर्णय में यह आदेश अंकित किया गया है कि "नामान्तकरण कोरम में पेश हुआ मुताबिक इन्द्राज पटवारी खाता बह हक वीरासत से श्री लक्ष्मण, जगदीश पि. मांगीलाल दर्जी एवं श्रीमती माता गंगा बेवा मांगीलाल के नाम खाता रद्दोबदल करने की स्वीकृति पूर्ण कोरम की राय से दी जाती है" उक्त आदेश से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि ग्राम पंचायत कुंवारिया द्वारा अपीलाण्ट को सुने बिना मुताबिक इन्द्राज पटवारी निर्णय पारित किया गया है जिसमें स्व. मांगीलाल के सभी वारिसान का नाम अंकन नही करने से निर्णय में विधिक भूल कारित हुई है। किन्तु अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में यह कहना कि रेस्पोण्डेन्ट संख्या 3 गंगा पत्नी मांगीलाल द्वारा अपने पति मांगीलाल की मृत्यु के उपरान्त श्री दीपसिंह तंवर से (नातायत विवाह) पुनर्विवाह कर लेने से रेस्पोण्डेन्ट संख्या 3 का उक्त भूमियों में कोई हक अधिकार नही रहा है एवं

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

Scanned with ACE Scanner

रेस्पोण्डेन्ट संख्या 3 ने गलत तरिके से नामान्तरकरण अपने नाम पर भी पारित करवाकर अपने नाम पर राजस्व अभिलेखो में अंकित करवा दी, तत्समय प्रचलित विधी अनुसार न्यायसंगत प्रतित नही होता है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में दिनांक 9.09.2005 के संशोधन के पश्चात धारा 24 का लोप किये जाने से उक्त कथन वर्तमान परिपेक्ष्य मे उचित है किन्तु 9.09.2005 से पूर्व हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 24(2) में यह प्रावधान अंकित था कि अगर पुनर्विवाहित हिन्दु विधवा के पिछले विवाह से कोई बच्चा या बच्चे है, तो वह अपने मृत पति की संपति में एक बेटे के हिस्से के बराबर हिस्सा पाने की हकदार है। ऐसी स्थिति में जबकि तत्समय गंगादेवी के अपने पूर्व पति से तीन संताने थी, जिनमे एक पुत्री जो स्वयं अपीलान्ट है एवं दो पुत्र रेस्पोण्डेन्ट संख्या 1 व 2 जो तत्समय नाबालिग थे, के मौजुद रहते उक्त कानून के तहत श्रीमति गंगादेवी का अपने पूर्व पति की उक्त भूमियों में तत्समय हक अधिकार निहित था, इसलिए गंगादेवी को तत्समय अपने पति की उक्त भूमियों में हिस्सा दिया जाना गलत नहीं था, किन्तु अपीलाण्ट का हिस्सा भी तत्समय अपने पिता की भूमियों में निहित था, जिससे अपीलाण्ट एवं रेस्पोण्डेन्ट संख्या 1 से 3 प्रत्येक का 1/16 हिस्सा निहित था। ग्राम पंचायत कुंवारिया द्वारा रेस्पोण्डेन्ट संख्या 1 से 3 के पक्ष में नामान्तरण संख्या 851 दिनांक 31.05.89 को स्वीकृत किया जाना ना केवल विधिक त्रुटी है बल्कि अपीलाण्ट के हक अधिकारों की तुलना में अपीलाण्ट को सुने बिना नामान्तरकरण निर्णित किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध होकर ग्राम पंचायत कुंवारिया द्वारा पारित उक्त नामान्तरण संख्या 851 निर्णय दिनांक 31.05.89 निरस्त योग्य है साथ ही उक्त भूमि के संबंध में रेस्पोण्डन्टगण 1 से 3 द्वारा रेस्पोण्डेन्ट संख्या 4 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत नामान्तरण संख्या 2716 नि.दि. 07.07.2015 एवं नामान्तरण संख्या 3107 नि.दि. 14.12.2017 भी अपीलाण्ट के हक अधिकारों के मुकाबले अपीलाण्ट के हिस्से तक निष्प्रभावी, अवैध एवं शुन्य होकर काबिल खारिज है।

आदेश

अतः ग्राम पंचायत कुंवारिया द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 851 अपीलाण्ट के हक अधिकारों की तुलना में निरस्तनीय पाया जाने से **अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है।** ग्राम पंचायत कुंवारिया द्वारा नामान्तरकरण संख्या 851 में दिनांक 31.05.89 को पारित निर्णय को अपास्त किया जाता है साथ ही उक्त भूमि के संबंध में रेस्पोण्डन्टगण 1 से 3 द्वारा रेस्पोण्डेन्ट संख्या 4 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत नामान्तरण संख्या 2716 नि.दि. 07.07.2015 एवं नामान्तरण संख्या 3107 नि.दि. 14.12.2017 भी अपीलाण्ट के हक अधिकारों के मुकाबले अपीलाण्ट के हिस्से तक निष्प्रभावी एवं अवैध होने से नामान्तरकरण संख्या 851 सहित पश्चातवर्ती नामान्तरण संख्या 2716 एवं 3107 को शुन्य घोषित किया जाकर तहसीलदार कुंवारिया को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में नियमानुसार समस्त पक्षकारों की विधीसम्मत सुनवाई कर नये सिरे से नामान्तरण की कार्यवाही करे। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

निर्णय की प्रति तहसीलदार कुंवारिया को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

बृजेश गुप्ता (R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमन्द

उक्त आदेश आज दिनांक 28.01.25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की गोल मोहर से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमन्द

Scanned with ACE Scanner